निर्णय

अपीलाण्टस की ओर से प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख.नं. 103 रकवा 03बीघा 04 विस्वा , 143 रवका 2 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर में कैलाशचन्द सिकरवार पुत्र पन्नालाल जाति ठाकुर निवासी पुराना रिसाला धौलपुर 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार थे। इसी हैसियत से काबिज थे। कैलाशचन्द की मृत्यु दिनांक 24.12.2015 को हो गई। जिनका समस्त तर्का अपीलान्टस एंव रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 ने प्राप्त किया। इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नही है। नामा0 संख्या 1794 दिनांक 5.09.2018 में सिजरा बनाया गया है जिसमें कैलाशचन्द के सभी वारिसान अपीलान्टस व रेस्पो. संख्या 02 लगायत 4 सिजरा में अंकित किए गए है। जिसे पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.08.2018 को भर कर तैयार किया गया।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

आईएलआर ने दिनांक 4.9.18 को प्रमाणित किया कि मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र व सिजरा अंकन सही है लेकिन सरपंच मुन्नी देवी ग्राम पंचायत लुहारी ने दिनांक 05.09.2018 को तस्दीक करते समय मात्र कैलाशचन्द के वारिसान के रूप में उनकी पत्नि श्रीमती उर्मिला व पुत्र उत्तम सिकरवार के नाम नामा0 स्वीकार किया, जो असल का कानून के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा0 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टस के नाम नियमानुसार नामा0 की कार्यवाही की जावे। अपीलान्टस की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधि0 पृथक से पेश किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। रेस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए।

वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील अपीलान्टस ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्टस के कथनों से सहमति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टस के द्वारा अपील के साथ अपीलाधीन नामा0 संख्या 1794 ग्राम सांडा की प्रमाणित प्रति पेश की गई। जिसके अवलोकन से उक्त नामा0 कैलाश पुत्र पन्नालाल की विरासतन पटवारी हल्का द्वारा उर्मिला पत्नि कैलाशचन्द उत्तम सिकरवार पुत्र कैलाशचन्द नीलम राखी प्रति राधा पुत्रियान कैलाशचन्द हि0ब0 1/3 कौम ठाकुर सा0पुराना रिसाला कोठी धौलपुर खातेदार भरा गया है नामा0 पर कैलाशचन्द का सिजरा भी अंकित है परन्तु दिनांक 05.09.18 को रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा नामा0 क्षेत्रीय रीति अनुसार अकित करते हुए नामा0 उर्मिला पत्नि कैलाशचन्द, उत्तम सिकरवार पुत्र कैलाशचन्द के नाम स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 1794 तारीखी 05.09.2018 ग्राम सांडा ग्राम पंचायत लुहारी पं.स. धौलपुर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मनियां को इस निर्देश के साथ अग्रेषित किया जाता है कि वह मृतक कैलाशचन्द के वारिसान की विस्तृत जांच कर पुनः गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 5/8/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर राज0